महत्वपूर्ण / शीर्षप्राथमिकता

संख्या–1490 / 38–4–13–654 / 05

प्रेषक,

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊःदिनांक–29 अगस्त,2013

विषयः– इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

आवास विहीन बी0पी0एल0 परिवारों को इन्दिरा आवास योजना में पारदर्शिता एवं पूर्ण ढंग से आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओ पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

(1)– इन्दिरा आवास योजना के सभी लाभार्थियों का कम्प्यूटराइज्ड डाटा बेस तैयार कराया जाय।

(2)– इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत धनराशि का अंतरण, जिसमें बैंक खातों को फ्रीज किया जाना भी सम्मिलित है,आवास साफ्ट के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3)– चूँकि योजना में शौचालयों का निर्माण किया जाना अनिवार्य है तथा इसमें व्यय की धनराशि मनरेगा से डवटेल की जानी है, इस हेतु प्रत्येक लाभार्थी के लिए मनरेगा योजनान्तर्गत जाब कार्ड भी बनाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) इन्दिरा आवास के लाभार्थियों का बायोमेट्रिक डाटा, प्राथमिकता के आधार पर, कैम्प लगाकर तैयार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों का चयन,आवास का ले–आउट,बैंक खातों, व उनमें धनराशि-प्रेषण तथा आवास निर्माण का स्टेटस आदि सूचनाये समस्त जनपदों से संकलित कर प्रत्येक सोमवार को शासन को उपलब्ध करायी जाँय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि एक माह के अन्दर सभी लाभार्थियों का चयन कर लिया जाय।

2– कृपया उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर समयानुसार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव

2/–

संख्या–1490(1)/38–4–13तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– प्रमुख सचिव,पंचायती राज विभाग,उ0 प्र0 शासन ।

2– विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–7 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मनरेगा योजनान्तर्गत समुचित कार्यवाही हेतु अपने स्तर से निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करे।

3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त,उ0 प्र0।

5– समस्त परियोजना निदेशक,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,उ0 प्र0।

6– समस्त जिला विकास अधिकारी,उ0 प्र0।

7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)

अनुसचिव।